न्यायालय,अपर समाहर्ता, रॉची।

विविध अपील 52 आर 15/2000–01

ए सी टी आर 02 आर 15/2001–02

झिरगा उरॉव अपीलकर्ता

बनाम

सुकरा उरॉव वगैरह प्रतिवादी

आदेश

10-9-2008

यह अपील विविध वाद संख्या 11/94–95 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर, रॉची द्वारा दिनांक 29.07.1999 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा निम्नांकित जमीन की अपीलकर्ता के नाम चल रही जमाबन्दी को निरस्त करने एवं प्रतिवादी के नाम कायम करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कैम्बो	109	1164	0.32 एकड
		1272	0.41 ,,
		1969	0.01 ,,
		2210	0.21 ,,
		2421	0.44 ,,
			कुल 1.39 एकड़

उभय पक्ष की ओर से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता ने अपील आवेदन एवं लिखित बहस के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के नाम चल रही जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल पदाधिकारी, माण्डर के समक्ष आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी ने कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा अभिलेख उपसमाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, रॉची के पास अग्रसारित कर दिया जिन्होंने सुनवाई के बाद जमाबंदी में संशोधन का आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। प्रतिवादी खतियानी रैयत के वंशज नहीं हैं। खतियानी रैयत भौरा उरॉव की निःसंतान मृत्यु हो गयी थी। प्रतिवादी डेले उरॉव उनके पुत्र नहीं थे बल्कि उनका सम्बन्ध अन्य परिवार से है। साथ ही प्रतिवादी का माण्डर थाना क्षेत्र में कोई मकान या जमीन भी

नहीं है। अपीलकर्ता खतियानी रैयत भौरा उरॉव के भाई के पुत्र हैं एवं उनके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। खतियानी रैयत की निःसंतान मृत्यु होने के कारण उरॉव सामाजिक प्रथा के अनुरुप अपीलकर्ता विवादित जमीन के उत्तराधिकारी हुए। लिखित बहस में कहा गया है कि विवादित जमीन अपीलकर्ता के दखल में होने के कारण उनके नाम से 1957 में जमाबंदी कायम हुई थी एवं लगातार अपीलकर्ता के नाम लगान रसीद निर्गत होता आ रहा था जिसे रद्द करने का आदेश निम्न न्यायालय ने दिया है। 1957 से कायम जमाबंदी को निरस्त करने का अधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता को नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित कर हक का निर्णय किया गया है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से इस सम्बन्ध में जे एल जे आर 2008(भाग 2) पृष्ठ 455–457, जे एल जे आर 2008 (भाग 2) पृष्ठ 433–435, जे एल जे आर 2004(भाग 2) पृष्ठ 572 में प्रकाशित निर्णयों का हवाला दिया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि उनके पिता ने जमाबन्दी में सुधार हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। विवादित जमीन खतियान में भौंरा उरॉव के नाम दर्ज था। भौंरा की दो पत्नियॉ जौरी एवं बिन्दो थीं। पहली पत्नी से एक पुत्र माहिल उरॉव एवं दुसरी पत्नी से एक संतान भुखा उरॉव हुए। माहिल उरॉव के पुत्र डेले उरॉव हुए जिनके पुत्र वर्तमान प्रतिवादी हैं। भुखा उरॉव की नाबल्द मृत्यु हो गयी। अपीलकर्ता खतियानी रैयत के वारिस, उत्तराधिकारी अथवा नजदीकी रिश्तेदार नहीं हैं। जब प्रतिवादी के पिता को पता चला कि विवादित जमीन की जमाबंदी अपीलकर्ता के नाम से कायम हुई है तो इसमें संशोधन हेतु आवेदन दिया गया। अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात गलत एवं जाली हैं। खतियानी रैयत की दुसरी पत्नी बिन्दो उरॉइन ने न तो अपीलकर्ता को जमीन दान में दिया था और न ही हुकुमनामा के द्वारा। आदिवासी समाज में महिला को जमीन हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है। अपीलकर्ता के पिता बनाया उरॉव ग्राम पिपराटोली के निवासी थे जो चान्हो थाना क्षेत्र में आता है। अपीलकर्ता का खतियानी रैयत से किसी प्रकार का पारिवारिक सम्बन्ध नही है। खतियानी रैयत भौंरा उरॉव प्रतिवादी के परदादा थे। अपीलकर्ता के विवादित जमीन पर दावे का कोई आधार नहीं है। निम्न न्यायालय का आदेश सही एवं तथ्यों पर आधारित है।

प्रस्तुत वाद में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी जमींदारी उन्मुलन के बाद से ही अर्थात 1957 से अपीलकर्ता झिरगा उरॉव के नाम चल रही थी।

अपीलकर्ता के नाम से 1999–2000 तक लगान रसीद निर्गत किया गया है। इस बीच 1994 में प्रतिवादी सुकरा उरॉव वगैरह के पिता डेले उरॉव ने जमाबंदी में संशोधन हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जिसे अंचल अधिकारी माण्डर द्वारा उपसमाहर्ता भूमि सुधार,सदर रॉची के न्यायालय में अग्रसारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात अपीलकर्ता के जमाबंदी को विलोपित कर प्रतिवादी के नाम जमाबेदी कायम करने का आदेश दिया गया।

इस मामले में अपीलकर्ता के नाम जमाबंदी 1957 से चल रही थी। पूर्व से किसी रैयत के नाम कायम जमाबंदी को विलोपित करने का क्षेत्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता को नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई मामलों में इस आशय का निर्णय दिया गया है।

अतः अपील स्वीकृत किया जाता है एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, रॉची द्वारा विविध वाद संख्या 11/94–95 में दिनांक 29.07.1999 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय एवं अंचल अधिकारी, माण्डर को आदेश की प्रति अनुपालनार्थ प्रेषित करें।

दिनांक :– 10.09.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।